

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 4(39)नविवि/II/2022-02934

जयपुर, दिनांक: यथा हस्ताक्षरित

—:आदेश:—

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के क्षेत्र में वृद्धि होने से जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के अन्तर्गत जोन एवं क्षेत्रीय कार्यालय रखे जाने तथा विभिन्न प्रकोष्ठों/जोन कार्यालयों में वर्तमान में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त निम्न नवीन पदों के सृजन की सहमति रेप्सार एक्ट के अन्तर्गत एतद्वारा प्रदान की जाती है:—

| क्र.स.                | पदनाम                    | वर्तमान में स्वीकृत पदों की संख्या | नवीन सृजन हेतु सहमत पद       | कुल योग |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------|
| 1                     | 2                        | 3                                  | 4                            | 5       |
| <b>A प्रशासनिक पद</b> |                          |                                    |                              |         |
| 1                     | आयुक्त IAS               | 1                                  | 0                            | 1       |
| 2                     | सचिव                     | 1                                  | 0                            | 1       |
| 3                     | अतिरिक्त आयुक्त          | 6                                  | 4 (IAS)                      | 10      |
| 4                     | संयुक्त आयुक्त           | 2                                  | 0                            | 2       |
| 5                     | उपायुक्त/अधिकृत अधिकारी  | 31                                 | 11 (RAS)<br>02 (JDA Service) | 44      |
| 6                     | सहायक आयुक्त             | 2                                  | 0                            | 2       |
| 7                     | अधिक्षापी अधिकारी (EO)   | 7                                  | 0                            | 7       |
| 8                     | उप रजिस्ट्रार (सहकारिता) | 1                                  | 0                            | 1       |
| 9                     | वरिष्ठ निजी सचिव         | 3                                  | 0                            | 3       |
| 10                    | निजी सचिव                | 12                                 | 0                            | 12      |
| 11                    | तहसीलदार/नायब तहसीलदार   | 54                                 | 27                           | 81      |
| 12                    | प्रशासनिक अधिकारी        | 6                                  | 2                            | 8       |
| 13                    | विशेषाधिकारी (संस्थापन)  | 1                                  | 0                            | 1       |
| 14                    | वरिष्ठ निजी सचिव         | 2                                  | 0                            | 2       |
| 15                    | निजी सहायक               | 5                                  | 0                            | 5       |
| 16                    | स्टेनोग्राफर             | 13                                 | 0                            | 13      |
| 17                    | जनसम्पर्क अधिकारी        | 1                                  | 0                            | 1       |
| 18                    | सहायक जनसम्पर्क अधिकारी  | 1                                  | 0                            | 1       |
| 19                    | अति. प्रशासनिक अधिकारी   | 14                                 | 5                            | 19      |
| 20                    | सहायक प्रशासनिक अधिकारी  | 36                                 | 12                           | 48      |
| 21                    | वरिष्ठ सहायक             | 90                                 | 28                           | 118     |
| 22                    | कनिष्ठ सहायक             | 310                                | 96                           | 406     |
| 23                    | पटवारी अमीन              | 73                                 | 50                           | 123     |

|    |                                 |     |     |      |
|----|---------------------------------|-----|-----|------|
| 24 | सहकारिता निरीक्षक               | 1   | 0   | 1    |
| 25 | वरिष्ठ लिफ्ट ऑपरेटर             | 1   | 0   | 1    |
| 26 | लोडर ऑपरेटर                     | 3   | 0   | 3    |
| 27 | ड्राइवर                         | 23  | 0   | 23   |
| 28 | जमादार / दफ्तरी                 | 26  | 0   | 26   |
| 29 | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / बेलदार | 265 | 0   | 265  |
|    | योग (A)                         | 991 | 237 | 1228 |

### B अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ

|    |                                                        |     |             |     |
|----|--------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|
| 1  | निदेशक अभियांत्रिकी (CE)<br>(अभियांत्रिकी / प्रोजेक्ट) | 2   | 1           | 3   |
| 2  | अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (सिविल)                        | 6   | 7           | 13  |
| 3  | अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (विद्युत)                      | 1   | 0           | 1   |
| 4  | अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)                               | 22  | -4 (समाप्त) | 18  |
| 5  | अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत)                             | 2   | 0           | 2   |
| 6  | अधिक्षापी अभियन्ता (सिविल)                             | 46  | 15          | 61  |
| 7  | अधिक्षापी अभियन्ता (विद्युत)                           | 4   | 0           | 4   |
| 8  | सहायक अभियन्ता (सिविल)                                 | 78  | 29          | 107 |
| 9  | सहायक अभियन्ता (विद्युत)                               | 0   | 8           | 8   |
| 10 | कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)                                | 534 | 0           | 534 |
| 11 | कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)                              | 0   | 0           | 0   |
| 12 | सुपरवाइजर                                              | 5   | 0           | 5   |
| 13 | मिस्त्री-प्रथम                                         | 9   | 0           | 9   |
| 14 | मिस्त्री-द्वितीय                                       | 13  | 0           | 13  |
| 15 | सुपरवाइजर (विद्युत)                                    | 2   | 0           | 2   |
| 16 | सुपरवाइजर (जल-सिविल)                                   | 1   | 0           | 1   |
| 17 | वायरमेन ग्रेड-प्रथम                                    | 1   | 0           | 1   |
| 18 | फिटर ग्रेड-प्रथम                                       | 1   | 0           | 1   |
| 19 | कारपेन्टर                                              | 1   | 0           | 1   |
| 20 | पम्पड्राइवर-प्रथम                                      | 1   | 0           | 1   |
| 21 | पम्पड्राइवर-द्वितीय                                    | 1   | 0           | 1   |
|    | योग (B)                                                | 730 | 60<br>-4    | 786 |

### C नगर नियोजक प्रकोष्ठ

|   |                       |   |   |    |
|---|-----------------------|---|---|----|
| 1 | निदेशक (CTP)          | 1 | 0 | 1  |
| 2 | अति. मुख्य नगर नियोजक | 2 | 3 | 5  |
| 3 | वरिष्ठ नगर नियोजक     | 5 | 5 | 10 |
| 4 | उप नगर नियोजक         | 9 | 7 | 16 |

|                         |                           |     |    |     |
|-------------------------|---------------------------|-----|----|-----|
| 5                       | सहायक नगर नियोजक          | 24  | 20 | 44  |
| 6                       | रिसर्च सहायक              | 1   | 0  | 1   |
| 7                       | नगर नियोजक सहायक          | 10  | 0  | 10  |
| 8                       | वरिष्ठ प्रारूपकार         | 24  | 0  | 24  |
| 9                       | कनिष्ठ प्रारूपकार         | 3   | 10 | 13  |
| 10                      | ट्रेसर                    | 1   | 0  | 1   |
| 11                      | फेरोमेन                   | 2   | 0  | 2   |
|                         | योग (C)                   | 82  | 45 | 127 |
| <b>D लेखा प्रकोष्ठ</b>  |                           |     |    |     |
| 1                       | निदेशक वित्त FA           | 1   | 0  | 1   |
| 2                       | विशेषाधिकारी (R.M)        | 1   | 1  | 2   |
| 3                       | विशेषाधिकारी (कर अनुपालन) | 1   | 0  | 1   |
| 4                       | अतिरिक्त निदेशक (E&B)     | 1   | 0  | 1   |
| 5                       | अतिरिक्त निदेशक (R&DP)    | 1   | 0  | 1   |
| 6                       | मुख्य लेखाधिकारी          | 1   | 2  | 3   |
| 7                       | वरिष्ठ लेखाधिकारी         | 5   | 2  | 7   |
| 8                       | लेखाधिकारी                | 5   | 5  | 10  |
| 9                       | सहायक लेखाधिकारी—प्रथम    | 10  | 5  | 15  |
| 10                      | सहायक लेखाधिकारी—द्वितीय  | 25  | 12 | 37  |
| 11                      | कनिष्ठ लेखाकार            | 60  | 30 | 90  |
|                         | योग (D)                   | 111 | 57 | 168 |
| <b>E विधि प्रकोष्ठ</b>  |                           |     |    |     |
| 1                       | निदेशक विधि               | 1   | 0  | 1   |
| 2                       | सदस्य जेडीए ट्रिब्यूनल    | 2   | 0  | 2   |
| 3                       | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  | 2   | 0  | 2   |
| 4                       | संयुक्त निदेशक (विधि)     | 1   | 1  | 2   |
| 5                       | उप निदेशक (विधि)          | 2   | 8  | 10  |
| 6                       | सहायक विधि अधिकारी        | 3   | 2  | 5   |
| 7                       | सहायक अभियोजक अधिकारी     | 2   | 0  | 2   |
| 8                       | कनि. विधि अधिकारी         | 28  | 20 | 48  |
| 9                       | मुन्सरिम                  | 2   | 0  | 2   |
| 10                      | रीडर (CJM)                | 2   | 0  | 2   |
|                         | योग (E)                   | 45  | 31 | 76  |
| <b>F उद्यानिकी शाखा</b> |                           |     |    |     |
| 1                       | वन संरक्षक                | 1   | 0  | 1   |
| 2                       | वरिष्ठ उद्यानिकी          | 1   | 0  | 1   |
| 3                       | उद्यानिकी                 | 1   | 1  | 2   |

|                            |                           |      |     |      |
|----------------------------|---------------------------|------|-----|------|
| 4                          | सहायक वन संरक्षक          | 1    | 4   | 5    |
| 5                          | उद्यान अधीक्षक            | 2    | 4   | 6    |
| 6                          | रेंजर ग्रेड—प्रथम         | 2    | 1   | 3    |
| 7                          | रेंजर ग्रेड—द्वितीय       | 1    | 1   | 2    |
| 8                          | उद्यान निरीक्षक           | 4    | 2   | 6    |
| 9                          | सहायक उद्यान निरीक्षक     | 8    | 6   | 14   |
| 10                         | वनरक्षक                   | 2    | 2   | 4    |
| 11                         | वनपाल                     | 5    | 0   | 5    |
| 12                         | मुख्य बागवान              | 2    | 0   | 2    |
|                            | योग (F)                   | 30   | 21  | 51   |
| <b>G प्रवर्तन प्रकोष्ठ</b> |                           |      |     |      |
| 1                          | पुलिस अधीक्षक             | 1    | 0   | 1    |
| 2                          | मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) | 1    | 1   | 2    |
| 3                          | उप नियंत्रक (प्रवर्तन)    | 6    | 4   | 10   |
| 4                          | प्रवर्तन अधिकारी          | 18   | 11  | 29   |
| 5                          | प्रवर्तन निरीक्षक         | 5    | 2   | 7    |
| 6                          | क्षेत्र सहायक             | 20   | 0   | 20   |
| 7                          | उप निरीक्षक               | 2    | 2   | 4    |
| 8                          | हेड कांस्टेबल             | 6    | 4   | 10   |
| 9                          | कांस्टेबल                 | 30   | 20  | 50   |
| 10                         | कांस्टेबल (महिला)         | 5    | 5   | 10   |
|                            | योग (G)                   | 94   | 49  | 143  |
|                            | कुल महायोग (A to G)       | 2083 | 500 | 2579 |
|                            |                           |      | —4  |      |

उपरोक्त विवरण के आधार पर वर्तमान में स्वीकृत एवं नवीन सृजित पदों का प्रकोष्ठ अनुसार विवरण निम्नवत है:—

| क्र.स. | प्रकोष्ठ          | विभाग द्वारा अवगत कराये अनुसार वर्तमान में स्वीकृत पदों की संख्या | नवीन सृजन हेतु सहमत पदों की संख्या | विलोपित/समाप्त पदों की संख्या | कुल पदों की संख्या |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1      | प्रशासनिक शाखा    | 991                                                               | 237                                | 0                             | 1228               |
| 2      | अभियांत्रिकी शाखा | 730                                                               | 60                                 | —4                            | 786                |
| 3      | नगर नियोजन शाखा   | 82                                                                | 45                                 | 0                             | 127                |
| 4      | वित्त शाखा        | 111                                                               | 57                                 | 0                             | 168                |
| 5      | विधि शाखा         | 45                                                                | 31                                 | 0                             | 76                 |
| 6      | उद्यानिकी शाखा    | 30                                                                | 21                                 | 0                             | 51                 |

|   |               |      |     |    |      |
|---|---------------|------|-----|----|------|
| 7 | प्रवर्तन शाखा | 94   | 49  | 0  | 143  |
|   | योग           | 2083 | 500 | -4 | 2579 |

जयपुर विकास प्राधिकरण में अभियांत्रिकी शाखा के अन्तर्गत जविप्रा के केडर एवं यूडीएच केडर के पदों को सम्मिलित किया गया है। अतः वर्तमान में स्वीकृत पदों की संख्या में उक्त कारण से अन्तर है।

जयपुर विकास प्राधिकरण में वर्तमान में अधीक्षण अभियंता (सिविल) के स्वीकृत पदों में से 04 पदों को अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सिविल) कमोन्नत किया जाना है। इस प्रकार अधीक्षण अभियंता (सिविल) के 04 पद विलोपित (समाप्त) करते हुये इनके स्थान पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता के 04 पद नवीन सृजित करने की सहमति प्रदान करते हुये प्रस्तावित किये गये हैं। अतः अभियांत्रिकी संवर्ग में उपरोक्तानुसार संशोधन कर दिया गया है।

जविप्रा में अभियांत्रिकी संवर्ग को डॉईंग केडर घोषित किया जा चुका है। अतः जविप्रा में अभियांत्रिकी संवर्ग के स्वीकृत सभी पदों को यूडीएच केडर में सम्मिलित कर लिया गया है जिसमें निम्नवत पद भी सम्मिलित है –

| क्र.स. | पदनाम                           | पदों की संख्या |
|--------|---------------------------------|----------------|
| 1.     | मुख्य अभियन्ता (सिविल)          | 03             |
| 2.     | अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (सिविल) | 11             |
| 3.     | अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)        | 15             |
| 4.     | अधिशायी अभियन्ता (सिविल)        | 06             |
|        | योग                             | 35             |

उक्त 35 पद वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण में सृजित/नवीन सृजित/विलोपित पद है तथा यूडीएच अभियांत्रिकी संवर्ग में सम्मिलित है। इन पदों पर कार्यरत अधिकारियों की पदोन्नति हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण में पृथक से उक्त 35 पदों का केडर स्ट्रेन्थ रहेगा। इन पदों पर वर्तमान में जविप्रा में कार्यरत अभियांत्रिकी अधिकारियों हेतु पृथक से डीपीसी होगी तथा इन पदों पर कार्यरत अधिकारियों की जैसे-जैसे पदोन्नति/सेवानिवृति होगी वैसे-वैसे ही पद स्वतः नगरीय विकास विभाग की केडर स्ट्रेन्थ में डीपीसी हेतु सम्मिलित हो जायेंगे।

जयपुर विकास प्राधिकरण में उपरोक्तानुसार 500 नवीन पद रेप्सार एक्ट के अन्तर्गत सृजित करने तथा 04 पदों के समाप्त (विलोपित) किये जाने की सहमति निम्न शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है:-

**शर्त :-**

1. जयपुर विकास प्राधिकरण में नवीन स्वीकृत पद नियमों में निर्धारित योग्यता, सेवा शर्तों एवं पे लेवल के अनुसार सृजित किये जायेंगे।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण में भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के पदों को सृजित करने हेतु कार्मिक विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही उक्त सृजित पद प्रभावशील होंगे।

3. जयपुर विकास प्राधिकरण में अभियांत्रिकी संवर्ग के नवीन सृजित किये जाने वाले पदों को नगरीय विकास विभाग के अन्तर्गत अभियांत्रिकी संवर्ग के पुनर्गठन में सम्मिलित कर लिये गये हैं। अतः अभियांत्रिकी संवर्ग के नवीन पदों का सृजन पृथक् से नहीं किया जावेगा।
4. जयपुर विकास प्राधिकरण में नवीन सृजित पदों का वित्तीय भार प्राधिकरण द्वारा स्वयं के वित्तीय स्रोतों से वहन किया जावेगा। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता/अनुदान राशि प्रदान नहीं की जावेगी।
5. जयपुर विकास प्राधिकरण में वित्त प्रकोष्ठ में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 50 प्रतिशत पदों पर जविप्रा द्वारा सीधी भर्ती से तथा शेष 50 प्रतिशत पदों पर निदेशक कोष एवं लेखा से प्रतिनियुक्ति पर भर्ती किये जाने का प्रावधान है। यदि जविप्रा द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती नहीं किये जाने अथवा उक्त पद रिक्त रहने की स्थिति में निदेशक कोष एवं लेखा द्वारा प्रतिनियुक्ति से पदों पर भर्ती की जा सकती है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी. संख्या 172501139 दिनांक 28.08.2025 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राकेश कुमार-I)

शासन उप सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग को आई.डी. संख्या 172501139 दिनांक 28.08.2025 के क्रम में।
8. आयुक्त/सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगर नियोजन शाखा में नव सृजित पदों को नगर नियोजन सेवा की कैडर स्ट्रेन्थ में शामिल कर आवश्यक आदेश जारी कराया जाना सुनिश्चित करें।
11. प्रोग्रामर, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-तृतीय